राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : CE/RHB/2012-13/330 दिनांक : 30-8-2012

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल में किसी भी कार्य को प्रारम्भ करने हेतु जारी की जाने वाली प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रकरण में अपनाई जा रही प्रक्रिया में कम से कम 20 दिवस का समय लिया जा रहा है। जो कि कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करने की दृष्टि से कतई उचित नही है।

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती के प्रस्ताव को कई स्तर पर परीक्षण किये जाने के कारण अनावश्यक देरी होती है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की सक्षम स्वीकृति पश्चात आदेश अति. मुख्य अभियन्ता द्वारा जारी किये जाते है तथा सभी निर्माण कार्यो की तकनीकी स्वीकृति अति. मुख्य अभियन्ता स्तर पर जारी की जाती है। अतः प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पूर्व में परिक्षण स्तरों को कम कर लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम, मण्डल द्वारा समय-समय पर जारी कार्यालय आदेश, परिपत्र एवं मण्डल द्वारा निर्धारित चैक-स्लिप को पूर्ण कर लेखाधिकारी-अति. मुख्य अभियन्ता, तकनीकी सहायक-अति. मुख्य अभियन्ता एवं अति. मुख्य अभियन्ता द्वारा परीक्षण कर प्रस्तुत किये जायेगे एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा अग्रप्रेषित की जावेगी। निम्नानुसार स्तर पर परीक्षण किया जावेगा :-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	कर्मचारी/अधिकारी जिसके द्वारा परीक्षण किया जाना है
1	आवासीय अभियन्ता कार्यालय	संबंधित परियोजना अभियन्ता
2	उप आवासन आयुक्त कार्यालय	तकनीकी सहायक एवं आवासीय अभियन्ता
3	अति. मुख्य अभियन्ता कार्यालय	लेखाधिकारी तकनीकी सहायक एवं आवासीय अभियन्ता
4	मुख्य अभियन्ता कार्यालय	तकनीकी सहायक एवं उप आवासन आयुक्त
5	वित्तीय सलाहकार कार्यालय	लेखाकार वरिष्ठ लेखाधिकारी

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, रा. आ. म., जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, रा. आ. म., जयपुर।
3. अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/पी एण्ड एम, रा. आ. म., जयपुर।
4. तक. सहा.-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, रा. आ. म., जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, जयपुर वृत्त-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/गु.नि., जोधपुर वृत्त-प्रथम/द्वितीय/अलवर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर, रा. आ. म.।
6. आवासीय अभियन्ता, रा. आ. म., खण्ड-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/नवम/दशम/ग्यारह/बारह/तेरह/गु.नि.-प्रथम/द्वितीय/मुख्य अभियन्ता प्रकोष्ठ/पी एण्ड एम जयपुर/दौसा/बीकानेर-प्रथम/द्वितीय/हनुमानगढ़/कोटा/बारा/अजमेर/अलवर/भिवाड़ी/झुन्झुनू/भरतपुर/जोधपुर-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/गु.नि./जैसलमेर/पाली/खण्ड-प्रथम/द्वितीय, उदयपुर/भीलवाड़ा/डूँगरपुर/चितौडगड़।
7. रक्षित पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता